रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128 REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थागार

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 14, 1987/कार्तिक 23, 1909
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 14, 1987/KARTIKA 23, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules including Orders, Bye-laws etc. of a general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1987

सा.का.नि. 833.—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय, में एयर विंग अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल (एयर विंग अधिकारी) भर्ती नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :

उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. आरम्भिक गठन : इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व एयर विंग में पद धारण कर रहे आफिसरों को इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

5. अनुरक्षण : नियम 4 में यथा उपदर्शित आरम्भिक गठन के अधीन रहते हुए, ऐसा प्रत्येक पद जो भरा न गया हो और ऐसी प्रत्येक रिक्ति जो उसके पश्चात् उद्भूत हो, अनुसूची में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार भरी जाएगी।

87/1497 GI—1

नई दिल्ली 26 अक्तूबर, 1987

सा.का.नि. 855:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी (समूह "क") भर्ती नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "क") भर्ती (आठवां संशोधन) नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "क") भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में कार्यक्रम कार्यकारी (चयन श्रेणी) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	6क
"30. सहायक महानिदेशक (सुरक्षा)	2* (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	3000-100-3500-125-4500 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति/ भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
10	11
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/पुनर्नियोजन द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : (क) भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक या केन्द्रीय पुलिस संगठन के कमांडेंट/उप कमांडेंट का पद धारण करते हैं; या (ख) राज्य पुलिस संगठनों या केंद्रीय पुलिस संगठनों के पुलिस उप अधीक्षक (700—1300 रुपए, पुनरीक्षण पूर्व) या समतुल्य जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है या (ग) केन्द्रीय पुलिस संगठन के पुलिस उपअधीक्षक (650—1200 रुपए पुनरीक्षण पूर्व) या समतुल्य जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। पुनर्नियोजन : भूतपूर्व आपात् कमीशंड आफिसर/अल्प सेवा कमीशंड आफिसर सेवानिवृत्त रक्षा सेवा आफिसर जो सेना में मेजर के रैंक या समतुल्य हों। सेवानिवृत्त राज्य पुलिस अधिकारी, केन्द्रीय पुलिस संगठन के अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक/कमांडेंट/उपकमांडेंट के रैंक के हों। (पुनर्नियोजित सिविल पदों के प्रति निर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक होगा)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
लागू नहीं होता	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[संख्या 12018/3/86-बी (ए)]
कश्मीरी लाल, अवर सचिव

टिप्पणी :— मूल नियम जिन्हें आकाशवाणी (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1963 कहा गया है सा. का. नि. सं. 24 तारीख 23-12-63 द्वारा अधिसूचित किए गए थे तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए :—

1. अधिसूचना सं. 11/8/62-बी (ए), तारीख 9-6-1964
2. अधिसूचना सं. 11/11/62-बी (ए), तारीख 18-6-64, सा. का. नि. सं. 924, तारीख 27-6-64
3. अधिसूचना सं. 5/24/62-बी (ए), तारीख 31-8-65, सा. का. नि. सं. 1314 तारीख 11-9-65
4. अधिसूचना सं. 11/2/64-बी (ए), तारीख 17-9-65, सा. का. नि. सं. 1487, तारीख 9-10-65
5. अधिसूचना सं. 11/2/64-बी (ए), तारीख 27-11-75, सा. का. नि. सं. 1820, तारीख 11-12-1965
6. अधिसूचना सं. 13/78/62-बी (ए), तारीख 30-11-1965, सा. का. नि. सं. 1873 तारीख 25-12-65
7. अधिसूचना सं. 11/8/65-बी (ए), तारीख 29-5-67, सा. का. नि. सं. 974, तारीख 1-7-67
8. अधिसूचना सं. 5/15/65-बी (ए), तारीख 28-7-1965
9. अधिसूचना सं. 11/8/65-बी (ए), तारीख 9-9-66, सा. का. नि. सं. 1464, तारीख 4-9-66
10. अधिसूचना सं. 5/3/67-बी (ए), तारीख 7-10-1967, सा. का. नि. सं. 1563, तारीख 21-10-67
11. अधिसूचना सं. 20/2/67-बी (ए), तारीख 4-12-67, सा. का. नि. सं., 1856, तारीख 16-12-67
12. अधिसूचना सं. 6/107/65-बी (ए), तारीख 3-7-67 सा. का. नि. सं. 1352, तारीख 20-7-67
13. अधिसूचना सं. 11/5/65-बी (ए), तारीख 13-9-1968, सा. का. नि. सं. 1791, तारीख 28-9-68
14. अधिसूचना सं. 7/5/68-बी (ए), तारीख 9-10-68, सा. का. नि. सं. 1905, तारीख 2-11-1968
15. अधिसूचना सं. 5/12/68-बी (ए), तारीख 9-10-68, सा. का. नि. सं. 2078, तारीख 20-11-68
16. अधिसूचना सं. 8/12/68-बी (ए), तारीख 14-11-68 सा. का. नि. सं. 2079, तारीख 30-11-68
17. अधिसूचना सं. 17/8/68-बी (ए), तारीख 6-6-1969, सा. का. नि. सं. 1473, तारीख 21-6-69
18. अधिसूचना सं. 17/6/68-बी (ए), तारीख 4-6-1969 म ।
19. अधिसूचना सं. 11/5/65-बी (ए), तारीख 29-9-69, सा. का. नि. सं. 2252, तारीख 21-9-69
20. अधिसूचना सं. 17/2/69-बी (ए), तारीख 7-11-69, सा. का. नि. सं. 2885, तारीख 29-11-69
21. अधिसूचना सं. 17/1/69-बी (ए), तारीख 23-2-1970, सा. का. नि. सं. 405, तारीख 7-3-70
22. अधिसूचना सं. 17/3/69-बी (ए), तारीख 16-9-1970
23. अधिसूचना सं. 1/2/70-बी (ए), तारीख 18-2-71, सा. का. नि. सं. 639 तारीख 20-3-1970
24. अधिसूचना सं. 5/12/68-बी (ए), तारीख, 22-3-1971 सा. का. नि. सं. 603 तारीख 24-4-1971
25. अधिसूचना सं. 5/12/68-बी (ए), तारीख, 3-5-72 सा. का. नि. सं. 320 तारीख 8-7-1972
26. अधिसूचना सं. 1/2/71-बी (ए), तारीख, 6-12-1971 सा. का. नि. सं. 51 तारीख 1-1-1972
27. अधिसूचना सं. 1/2/71-बी (ए), तारीख 10-1-1972
28. अधिसूचना सं. 1/3/70-बी (ए), तारीख 18-5-1972 सा. का. नि. सं.
29. अधिसूचना सं. 1/9/71-बी (ए), तारीख 6-6-1972, सा. का. नि. सं. 818 तारीख 8-7-72
30. अधिसूचना सं. 5/12/68-बी (ए), तारीख 13-6-72
31. अधिसूचना सं. 1/6/71-बी (ए), तारीख 30-9-1972 सा. का. नि. सं. 1386 तारीख 4-9-72
32. अधिसूचना सं. 1/6/70-बी (ए), तारीख 6-12-72 सा. का. नि. स. 1602 तारीख 23-12-72
33. अधिसूचना सं. 1/6/71-बी (ए), तारीख 30-9-1972
34. अधिसूचना सं. 5/39/71-बी (ए), तारीख 3-12-1973
35. अधिसूचना सं. 1/4/73-बी (ए), तारीख 2-6-1973, सा. का. नि. सं. 635 तारीख 16-6-1973
36. अधिसूचना सं. 1/10/71-बी (ए), तारीख 10-9-1973
37. अधिसूचना सं. 1/2/73-बी (ए), तारीख 29-9-1973, सा. का. नि. सं. 1148 तारीख 20-10-1973
38. अधिसूचना सं. 1/2/72-बी (ए), तारीख 26-10-1974, सा. का. नि. सं. 1196 तारीख 9-11-74
39. अधिसूचना सं. 5/33/70-बी (ए), तारीख 30-10-74, सा. का. नि. सं. 1220 तारीख 16-11-1974
40. अधिसूचना सं. 1/18/73-बी (ए), तारीख 18-11-74, सा. का. नि. सं. 1195 तारीख 19-11-74
41. अधिसूचना सं. 5/17/74-बी (ए), तारीख 13-2-1975, सा. का. नि. सं. 267 तारीख 22-2-1975
42. अधिसूचना सं. 5/66/73-टी. वी. तारीख 5-4-1975,
43. अधिसूचना सं. 1/1/71-बी (ए), तारीख 30-6-1975, सा. का. नि. सं. 895 तारीख 19-7-1975
44. अधिसूचना सं. 1/3/75-बी (ए), तारीख 19-12-75, सा. का. नि. सं. 64, तारीख 10-1-1976

45. अधिसूचना सं. 1/8/75–बी (ए), तारीख 20-2-1976, सा.का.नि. सं. 391 तारीख 13-3-1976
46. अधिसूचना सं. 5/14/75–बी (ए), तारीख 23-3-1976
47. अधिसूचना सं. 5/10/76–बी (ए), तारीख 7-5-76, सा.का.नि. सं. 786 तारीख 5-6-1976
48. अधिसूचना सं. 1/1/73–बी (ए), तारीख 19-7-1986, सा.का.नि. सं.
49. अधिसूचना सं. 12018/5/76–बी (ए), तारीख, 16-8-1977 सा.का.नि. सं. 118 तारीख 10-9-1977
50. अधिसूचना सं. 12019/7/77–बी (ए), तारीख 15-9-1977 सा.का.नि. सं. 1358 तारीख 8-9-1977
51. अधिसूचना सं. 12010/5/76–बी (ए), तारीख 15-12-1977, सा.का.नि. सं. 31 तारीख 7-1-1970
52. अधिसूचना सं. 12018/4/76–बी (ए), तारीख 20-2-1970 सा.का.नि. सं.
53. अधिसूचना सं. 12010/5/76–बी (ए), तारीख 4-6-1978 सा.का.नि. सं.
54. अधिसूचना सं. 12019/8/78–बी (ए), तारीख 26-12-1986, सा.का.नि सं. 94 तारीख 20-1-79
55. अधिसूचना सं. 12010/5/76–बी (ए), तारीख 18-4-78
56. अधिसूचना सं. 12010/1/76–बी (ए), तारीख 10-7-80, सा.का.नि. सं. 1231 तारीख 29-11-80
57. अधिसूचना सं. 12018/5/76–बी (ए), तारीख 1-11-80
58. अधिसूचना सं. 12019/9/77–बी (ए), तारीख 9-11-1981
59. अधिसूचना सं. 12024/13/76–बी (ए), तारीख 8-7-81, सा.का.नि. सं. 722 तारीख 1-8-81
60. अधिसूचना सं. 12019/1/81–बी (ए), तारीख 26-9-81, सा.का.नि. सं. 929 तारीख 17-10-81
61. अधिसूचना सं. 12010/1/81–बी (ए), तारीख 31-8-1981, सा.का.नि. सं. 869 तारीख 19-9-1981
62. अधिसूचना सं. 12018/4/71–बी (ए), तारीख 31-7-82, सा.का.नि. सं. 692 तारीख 11-8-82
63. अधिसूचना सं. 12019/1/81–बी (ए), तारीख 13-83 सा.का.नि. सं.
64. अधिसूचना सं. 19011/12/81–बी (ए), तारीख 11-8-83 सा.का.नि. सं.
65. अधिसूचना सं. 45011/83/82–बी (ए), तारीख 23-10-84, सा.का.नि. सं. 739 (ए) तारीख 23-10-84
66. अधिसूचना सं. 12019/2/84–बी (ए), तारीख 27-2-1985
67. अधिसूचना सं. 12019/1/85–बी (ए), तारीख 10-5-1985 सा.का.नि. सं.
68. अधिसूचना सं. 33013/7/85–84 तारीख 18-7-1977 सा.का.नि. सं. 940 (ए) तारीख 18-7-87
69. अधिसूचना सं. 12019/1/85–बी (ए), तारीख 29-1-1987, सा.का.नि. सं. 79 (ई) तारीख 29-1-1987
70. अधिसूचना सं. 12018/2/85–बी (ए), तारीख 5-3-1987, सा.का.नि. सं. 274 (ई) तारीख 5-3-1987
71. अधिसूचना सं. 7/17/83–एआर/बी/(ए) तारीख 5-3-1987- सा.का.नि. सं. 274 (ई) तारीख 5-3-1987
72. अधिसूचना सं. 12018/6/86–बी (ए), तारीख 23-3-1987, सा.का.नि. सं. 302 (ई) तारीख 23-3-1987
73. अधिसूचना सं. 45011/83/82–बी (ए)–खंड-2 (1) तारीख 5-5-1987
74. अधिसूचना सं. 12018/3/86–एस बी/बी (ए), तारीख 20-6-1987
75. अधिसूचना सं. 12018/5/86–बी (ए), तारीख 20-8-1987

New Delhi, the 26th October, 1987

G.S.R.....855......In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'A') Recruitment Rules, 1963*, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'A') Recruitment (Eighth Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'A') Recruitment Rules, 1963, after serial number 29 relating to the post of Programme Executive (Selection Grade) and the entries relating there to the following serial number and entries shall be inserted, namely:

SCHEDULE

Name of the Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	6(a)	(7)	(8)
"30. Assistant Director General (Security)	2* (1987) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3000-100-3500-125-4500.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of Probation, if any.	Method of rectt. Whether by direct recruitment or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	By transfer on deputation/ Re-employment.	Transfer on deputation : (a) Indian Police Service Officers holding posts of Superintendent of Police or Commandant/Deputy Commandent of Central Police Organisation or (b) Deputy Superintendent of Police (Rs. 700-1300 : Pre-revised) or equivalent from the State Police Organisations or Central Police Organisations with 5 years regular service in the grade: or (c) Deputy Superintendent of Police (Rs. 650-1200: Pre-revised) or equivalent from Central Police Organisation with 8 years' regular service in the grade. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years). Re-Employment: Ex-Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers/Retired Defence Service Officers of thei rank of Major in the Army or equivalent/Retired State Police Officers, Central police Organisations Officers of the rank of Superintendent of Police/ Commandant/Deputy Commandant. (Re-employment upto the age of superannuation with reference to Civil Posts).	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion."

[No. 12018/3/86-B (A)]

KASHMIRI LAL, Under Secy.

*Note : The principal Rules called the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1963, were notified vide GSR No. 24 dated 23-12-1963 subsequently the following amendments were notified:—

1. Notification No. 11/8/62-B(A), dated 9-6-1964
2. „ No. 11/11/62-B(A), dated 18-6-1964 GSR No. 924 dated 27-6-1964
3. „ No. 5/24/62-B(A), dated 31-8-1965 GSR No. 1314 dated 11-9-1965
4. „ No. 11/2/64-B(A), dated 17-9-1965 GSR No. 1487 dated 9-10-85
5. „ No. 11/2/64-B(A), dated 27-11-1965 GSR No. 1820 dated 11-12-1965
6. „ No. 13/78/62-B(A), dated 20-11-1965 GSR No. 1873/dated 25-12-1965
7. „ No. 11/8/64-B(A), dated 29-5-67 GSR No. 974 dated 1-7-67
8. „ No. 5/15/65-B(A), dated 28-7-65
9. „ No. 11/8/65-B(A), dated 9-9-66 GSR No. 1464 dated 4-9-66
10. „ No. 5/3/67-B(A), dated 7-10-67 GSR No. 1563 dated 21-10-67
11. „ No. 20/2/67-B(A), dated 4-12-67 GSR No. 1856 dated 16-12-67
12. „ No. 6/107/65-B(A), dated 3-7-67 GSR No. 1352 dated 20-7-68
13. „ No. 11/5/65-B(A), dated 13-9-68 GSR No. 1791 dated 28-9-68

14.	Notification	No. 7/5/68-B(A), dated 9-10-68 GSR No. 1905 dated 2-11-68
15.	„	No. 5/12/68-B(A), dated 9-10-68 GSR No. 2078 dated 20-11-68
16.	„	No. 8/12/68-B(A), dated 14-11-68 GSR No. 2071 dated 30-11-68
17.	„	No. 17/8/68-B(A), dated 6-6-69 GSR No. 1473 dated 21-6-69
18.	„	No. 17/6/68-B(A), dated 6-6-69
19.	„	No. 11/5/65-(A), dated 2-9-69 GSR No. 2252 dated 21-9-69
20.	„	No. 17/2/69-B(A), dated 7-11-69 GSR No. 2885 dated 29-11-69
21.	„	No. 17/1/69-B(A), dated 23-2-70 GSR No. 405 dated 7-3-70.
22.	„	No. 17/3/69-B(A), dated 16-9-70
23.	„	No. 1/2/70-B(A), dated 18-2-71 GSR No. 639 dated 20-3-70
24.	„	No. 5/12/78-B(A), dated 22-3-71 GSR No. 603 dated 24-4-71
25.	„	GSR No. 320 dated 8-7-72
26.	„	No. 1/2/71-B(A), dated 6-12-71 GSR No. 51 dated 1-1-72
27.	„	No. 1/2/71-B(A), dated 10-1-72
28.	„	No. 1/3/70-B(A), dated 18-5-72
29.	„	No. 1/9/71-B(A), dated 6-6-72 GSR No. 818 dated 8-7-72
30.	„	No. 5/12/68-B(A), dated 13-6-72
31.	„	No. 1/6/71-B(A), dated 30-9-72 GSR No. 1386 dated 4-9-72
32.	„	No. 1/6/70-B(A), dated 6-12-72 GSR No. 1602 dated 23-12-72
33.	„	No. 1/6/71-B(A), dated 30-9-72
34.	„	No. 5/39/71-B(A), dated 3-12-73
35.	„	No. 1/4/73-B(A), dated 2-6-73 GSR No. 635 dated 16-6-73
36.	„	No. 1/10/71-B(A), dated 10-9-73
37.	„	No. 1/2/43-B(A), dated 29-9-73 GSR No. 1148 dated 20-10-73
38.	„	No. 1/2/72-B(A), dated 26-10-74 GSR No. 1176 dated 9-11-74
39.	„	No. 5/33/70-B(A), dated 30-10-74 GSR No. 1220 dated 16-11-74
40.	„	No. 1/18/73-B(A), dated 18-11-74 GSR No. 1195 dated 19-11-74
41.	„	No. 5/17/74-B(A), dated 13-2-75 GSR No. 267 dated 22-2-75
42.	„	No. 5/66/73-TV, dated 5-4-75
43.	„	No. 1/1/71-B(A), dated 30-6-75 GSR No. 895 dated 17-7-75
44.	„	No. 1/3/75-B(A), dated 19-12-75 GSR No. 64 dated 10-1-76
45.	„	No. 1/8/75-B(A), dated 20-2-76 GSR No. 391 dated 13-3-76
46.	„	No. 5/14/75-B(A), dated 23-3-76
47.	„	No. 5/10/76-B(A), dated 7-5-76 GSR No. 786 dated 5-6-76
48.	„	No. 1/1/73-B(A), dated 19-7-76
49.	„	No. 12018/5/76-B(A), dated 16-8-77 GSR No. 118 dated 10-7-77
50.	„	No. 12019/7/77-B(A), dated 15-9-77 GSR No. 1158 dated 18-9-77
51.	„	No. 12018/5/76-B(A), dated 15-12-77 GSR No. 31 dated 7-1-78
52.	„	No. 12018/4/76-B(A), dated 20-2-78
53.	„	No. 12018/5/76-B(A), dated 4-6-78
54.	„	No. 12019/8/78-B(A), dated 26-12-78 GSR No. 74 dated 20-1-77

55.	Notification	No. 12018/5/76-B(A), dated 18-4-79
56.	,,	No. 12018/1/76-B(A), dated 18-7-80 GSR No. 1231 dated 29-11-80
57.	,,	No. 12018/5/76-B(A), dated 1-11-80
58.	,,	No. 12019/9/77-B(A), dated 9-1-81
59.	,,	No. 12024/13/76-B(A), dated 8-7-81 GSR No. 722 dated 18-7-81
60.	,,	No. 12019/1/81-B(A), dated 26-9-81 GSR No. 939 dated 17-10-81
61.	,,	No. 12018/1/81-B(A), dated 31-8-1981 GSR No. 869 dated 19-9-1981
62.	,,	No. 12018/4/76-B(A), dated 31-7-1982 GSR No. 692 dated 11-8-1982
63.	,,	No. 12019/1/81-B(A), dated 1-3-1983
64.	,,	No. 19011/12/81-B(A), dated 11-8-83
65.	,,	No. 45011/83/82-B(A), dated 23-10-1984
66.	,,	GSR No. 739(A) dated 23-10-1984
66.	,,	No. 12019/2/84-B(A), dated 27-2-1985
67.	,,	No. 12019/1/85-B(A), dated 10-5-85
68.	,,	No. 32013/7/85-B(A), dated 18-7-86 GSR No. 948(E) dated 18-7-86
69.	,,	No. 12019/1/85-B(A), dated 29-1-87
70.	,,	GSR No. 69(E), dated 29-1-87
70.	,,	12018/2/85-B(A), dated 5-3-87 GSR No. 273 (E) dated 5-3-87
71.	,,	No. 7/17/83-AR/B(A), dated 5-3-87 GSR No. 274 (E) dated 5-3-87
72.	,,	No. 12018/6/86-B(A), dated 23-3-87 GSR No. 302 (E) dated 23-3-87
73.	,,	No. 45011/83/82-B(A), Vol. II(i) dated 5-5-87
74.	,,	No. 12018/3/81-S, V/B(A), dated 20-6-87
75.	,,	No. 12018/5/86-B(A), dated 20-8-87 £

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1987

सा. का. नि. 856.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रमिक कल्याण संगठन (सहायक कल्याण प्रशासक) भर्ती नियम, 1978 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, श्रम मंत्रालय के श्रम कल्याण संगठन के अधीन सहायक कल्याण प्रशासक के पद/पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रमिक कल्याण संगठन सहायक कल्याण प्रशासक (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान—उक्त पद/पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।